

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या - 1596/77-3-18-37एम/12टीसी
लखनऊ : दिनांक 14 मई, 2018

अधिसूचना


उत्तर प्रदेश एकसप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-3 के उपनियम (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल वर्ष 2018-19 के लिए नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित फीस की आधार दर नियत करते हैं:-

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	वर्ष 2018-19 के लिए दिसम्बर 2017 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई. 355.66) पर आधारित फीस की प्रति किलोमीटर आधार दर (रुपये में)
1	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	2.25
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.55
3	बस या ट्रक	7.15
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	11.00
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	14.05

2- निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढाँचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो आधार वर्ष 2018-19 के लिए दिसम्बर 2017 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई. 355.66) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी:-

फीस का आधार दर (प्रति वाहन प्रति फेरा रुपये में)					
स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	ट्रक या बस	एच.सी.एम., ई.एम.ई. या एम.ए.वी.	विशाल आकार यान
10-15	6.10	9.15	18.25	26.80	36.45
रु. पन्द्रह करोड़ के बाद प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भाग पर रु. सौ करोड़ तक	1.20	1.85	3.65	5.50	7.30
रु. सौ करोड़ के बाद प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भाग पर रु. दो सौ करोड़ तक	0.90	1.40	2.75	4.15	5.50
रु. दो सौ करोड़ से ऊपर प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भाग पर	0.60	0.90	1.85	2.75	3.65


3- श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त निर्धारित टोल की आधार दरों के अनुसार 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' हेतु विभिन्न वाहनों के लिए आगणित टोल दरों पर वर्ष 2018-19 के लिए 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाय।



(एम0पी0 अग्रवाल)
सचिव

संख्या 1596 (1)/77-3-18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 खण्ड (ख) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की मुद्रित 250 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाये।
- (2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ।
- (3) गार्ड फाइल।


08/05/2018

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
Audyogik Vikas Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 1596/LXXVII-3-18-37(M)/2012 T.C. dated 14th May, 2018.

Notification

1596/LXXVII -3-18-37(M)/2012 T.C.

Lucknow: Dated: May 14, 2018

In exercise of the powers under sub-rule (i) of rule 3 of the Uttar Pradesh Expressway (Levy of Tolls and Fixing of Fees and Realisation thereof) (Fourth Amendment) Rules, 2017, the Governor is pleased to fix the base rate of fees for the year 2018-19 as mentioned in the Schedule below:-

SCHEDULE

Sl. No.	Type of Vehicle	Base rate of fee per Km (in Rupees) based on the Wholesale Price Index (WPI) of December 2017 (WPI 355.66) for the year 2018-19
1	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	2.25
2	Light Commercial Vehicle, Light Goods vehicle or Mini Bus	3.55
3	Bus or Truck	7.15
4	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	11.00
5	Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	14.05

2- The rate of fee for the use of structures interalia including permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel constructed with the completed cost exceeding Rupees ten crores shall, based on the Wholesale Price Index (WPI) of December 2017 (WPI 355.66) for the year 2018-2019, be as follows;

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	6.10	9.15	18.25	26.80	36.45
For every additional five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore	1.20	1.85	3.65	5.50	7.30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.90	1.40	2.75	4.15	5.50
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.60	0.90	1.85	2.75	3.65

3- Governor is also pleased to direct that a discount of 25% shall be given on the Toll Rates as above for the year 2018-19 for various types of vehicles on 'Agra-Lucknow Expressway'.

(M. P. Agrawal)
Secretary